



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई, सि0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com

Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक- 292 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सि0ख0

दिनांक 08/04/2024

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
टौन्स वन प्रभाग
पुरोला (उत्तरकाशी)

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/187/2019/एफ0सी0/719, दिनांक 24/07/2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक सं0 347/पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0 दिनांक 08.06.2016 द्वारा 04 प्रतिशतों में मूल प्रति सहित प्रेषित कर दी गई थी, पुनः दो प्रतिशतों अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून एवं एक प्रति वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निम्नानुसार प्रेषित है-



क0 सं0	शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	सम्बन्धित प्रमाण पत्र संख्या 1 की छायाप्रति संलग्न है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	अभिलेख संलग्न है, सचिव उत्तराखण्ड शासन वन के पत्रांक संख्या-1528/X-3-23/I(130)/2019 द्वारा संरक्षित वन घोषित एवं वन विभाग का हस्तान्तरित है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण	
4	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.072 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम छमरोटा सिविल खसरा नं0 2368 के प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline Para 2.4(I) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	अभिलेख संलग्न है, सचिव उत्तराखण्ड शासन वन के पत्रांक संख्या-1528/X-3-23/I(130)/2019 द्वारा संरक्षित वन घोषित एवं वन विभाग का हस्तान्तरित है।

08/04/24

	(ग) वन मडल अधिकार द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	डी0एफ0ओ0 पुरोला से सम्बन्धित है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0(Pt,2) दिनांक 18.09.203 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 ए0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.536 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 8-9 सलंगन है प्रमाण पत्र संख्या- 3 सलंगन है
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1242 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के के संख्य पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रमाण पत्र संख्या- 10 सलंगन है
7	State Govt will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement or work before Stamp II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activities carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	डी0एफ0ओ0 पुरोला से सम्बन्धित है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।	प्रमाण पत्र संख्या- 11 सलंगन है
9	एफ0आर0ए0 2005 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 12-26 सलंगन है
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 27 सलंगन है
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ के गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रमाण पत्र संख्या- 28 सलंगन है
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति करेगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 29 सलंगन है
13	केन्द्र सरकार की पूर्णनुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 30 सलंगन है
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 31 सलंगन है
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 32 सलंगन है
16	संबंधि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या- 33 सलंगन है


17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या-34.....सलंगन है
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या-35.....सलंगन है
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या-36.....सलंगन है
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रमाण पत्र संख्या-37.....सलंगन है
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017- FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रमाण पत्र संख्या-38.....सलंगन है
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रमाण पत्र संख्या-39.....सलंगन है
23	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेका जाएगा।	प्रमाण पत्र संख्या-40.....सलंगन है
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। वो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रमाण पत्र संख्या-41.....सलंगन है
25	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रमाण पत्र संख्या-42.....सलंगन है

संलग्नक- उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या 04 प्रतियों में।



 अधिशासी अभियन्ता
 पी0एम0जी0एस0वाई0,सिं0ख0
 पुरोला उत्तरकाशी

पत्रांक / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 / पुरोला / तदिनांक


प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी उत्तरकाशी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित-



 अधिशासी अभियन्ता
 पी0एम0जी0एस0वाई0,सिं0ख0
 पुरोला उत्तरकाशी

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में अध्याप्त की गई भूमि की विधिक परिस्थिति किसी भी दशा में बदली नहीं जायेगी।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के परोक्षार्थ जिला उत्तरकाशी में रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.536 है० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष अतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ख० (अन्य कृषि योग्य बंजर) भूमि के 9.072 है० क्षेत्रफल, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं :-

तालिका

क्र०सं०	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	चयनित क्षेत्रफल (है०)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उत्तरकाशी	पुरोला	छमरोटा	2368 म०	9.072	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)इ
योग-					9.072	

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

भाग-2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी०पी०एस० लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

Co-ordinates of Plantation Site					
Village-Banasari					
ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude
1	78°5' 757" E	30°45' 12.965" N	11	78°4' 57.730" E	30°45' 18.048" N
2	78°5' 15.695" E	30°45' 22.726" N	12	78°5' 0.465" E	30°45' 15.156" N
3	78°5' 10.571" E	30°45' 24.430" N	13	78°5' 2.265" E	30°45' 14.742" N
4	78°5' 8.597" E	30°45' 24.630" N	14	78°5' 4.046" E	30°45' 16.037" N
5	78°5' 8.432" E	30°45' 23.680" N	15	78°5' 3.042" E	30°45' 18.638" N
6	78°5' 1.736" E	30°45' 21.510" N	16	78°5' 4.266" E	30°45' 21.033" N
7	78°4' 54.074" E	30°45' 20.597" N	17	78°5' 5.917" E	30°45' 21.512" N
8	78°4' 50.975" E	30°45' 16.193" N	18	78°5' 9.436" E	30°45' 19.775" N
9	78°4' 47.895" E	30°45' 16.715" N	19	78°5' 11.217" E	30°45' 19.691" N
10	78°4' 53.977" E	30°45' 18.546" N	20	78°5' 13.068" E	30°45' 20.521" N

Signed by Kahkashan
Naseem (कहकशा नसीम)
Date: 18-12-2023 अपर अतिशः 04

10

528 / X-3-23/1(150)/2019 तददिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।

2. प्रमुख वन संरक्षक (MOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड, कैम्पा।
6. आशुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
8. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड(ब), भाग-4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

Signed by Satya Prakash
Singh

Date: 18-12-2023 17:42:18

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)

उप सचिव।


प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :- गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सिं०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)





अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सिं०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

खसरा प्रमाण :-

ग्राम- दम्परोरा तहसील-पुरोसा, जिला- उत्तरकाशी

सं. क्र.	कुल खसरा (घ)	प्रस्तावित खसरा (घ)	नाम खातेदार	विवरण
	(1)	(2)	(3)	(4)
68	11.133	9.072	उत्तराखण्ड सरकार कालि (इ.स.)	खसरा संख्या 2368 मध्ये 9.072 हे प्रस्तावित
)	11.133	9.072	-	-


 20/1/18
 [Signature]


 राजस्व अधीक्षक
 मंजोली

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)।

E-mail-dfo tons@yahoo.co.in.phone/fax-01373-223328

पत्रांक 222/12-1 दिनांक, पुरोला, 30/07/2020।
सेवा में

अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंघाई खण्ड, पुरोला,
उत्तरकाशी।

विषय- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.538 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- भारत सरकार की वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरमध्य क्षेत्र) के पत्रांक सं०-841/यू०सी०पी०/08/187/2019/एफ०सी०/719 दिनांक 24-07-2020।

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु संलग्न डिमान्ड नोट (मांग पत्र) प्रेषित किया जा रहा है। मांग पत्र के अनुसार एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर जमा चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में यथाशीघ्र विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

प्रतिलिपि-अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,


(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग पुरोला।

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मुन्धियाटगांव राग मोटर मार्ग के किमी 1.60 के ब्यापक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.536 हे० वन भूमि का गैर कानूनी कार्यों हेतु प्रायः विकास विभाग को प्रत्यार्पित किए जाने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रबोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र।

टोन्स वन प्रभाग, पुरोला।


क्र० सं०	प्रस्ताव संख्या	हरतान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	ईको क्लास भेणी	हरियाली का घनत्व	भद का विवरण	क्षेत्रफल (हे० में)	दर प्रति हे० प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक सं०-872/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वार्षिकी वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित दर के अनुसार	जमा की जाने वाली आकर्मित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					1. NPV	4.536	8,45,000/-	38,32,920.00
2	FP/UK/ROAD/41387/2019	4.536	5	0.5	2. क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षीय रख-रखाव हेतु	9.072	3,37,184/-	30,58,934.00
Total:-								68,91,854.00
Or Say:-					Sixty eight lacs ninty one thousand eight hundred fifty four only			

नोट- क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि यदि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जमा नहीं की जाती है तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के निर्धारित दर के अनुसार धनराशि जमा करनी होगी।


 (सुरेश कुमार कपला)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 टोन्स वन प्रभाग, पुरोला।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक
of India
Union Bank
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-08-2020

Agency Name.	PMGSYID PUROLA
Application No.	6141387505
MoE/SG File No.	8B/UCP/06/187/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer P.M.G.S.Y.I.D., Purola (Uttarkashi) Uttarkashi
Amount(in Rs)	6891854/-

Amount in Words : Sixty-Eight Lakh Ninety-One Thousand Eight Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

128272019505

BANK COPY

यूनियन बैंक
of India
Union Bank
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-08-2020

Agency Name.	PMGSYID PUROLA
Application No.	6141387505
MoE/SG File No.	8B/UCP/06/187/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer P.M.G.S.Y.I.D., Purola (Uttarkashi) Uttarkashi
Amount(in Rs)	6891854/-

Amount in Words : Sixty-Eight Lakh Ninety-One Thousand Eight Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A


* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	Fill Payment Details	Status
FP/UK/ROAD/11498/2015	ROAD114982015920	6111498920	Nagan Gaon to Kurul Motor Road	Road	1.129	PMGSYTD PUROLA	04-3-2016	10-2-2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Paid	<input checked="" type="checkbox"/>
FP/UK/ROAD/123853/2021	ROAD123853202165361123853653	611238532021	Construction of Nalhar to Halwan motor road	Road	3.0568	PMGSYTD PUROLA	06-7-2022	17-8-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	Paid	<input checked="" type="checkbox"/>
FP/UK/ROAD/123523/2021	ROAD123523202105061123523050	6123523021	Construction of Harwan to soma motor road	Road	6.037	PMGSYTD PUROLA	05-5-2022	19-5-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	Paid	<input checked="" type="checkbox"/>
FP/UK/ROAD/123820/2021	ROAD123820202121561123820215	6123820215	Construction of Pavn to Sarga Motor Road	Road	2.485	PMGSYTD PUROLA	07-3-2022	12-4-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	Paid	<input checked="" type="checkbox"/>
FP/UK/ROAD/123812/2021	ROAD123812202106161123812061	6123812061	Construction of Nalhar to Nuranu motor road	Road	3.082	PMGSYTD PUROLA	21-12-2021	08-2-2022	<input checked="" type="checkbox"/>	Paid	<input checked="" type="checkbox"/>
FP/UK/ROAD/29640/2017	ROAD296402017572	6129640572	Construction of Banus to Durbil Motor Road.	Road	2.16	PMGSYTD PUROLA	21-10-2020	20-11-2020	<input checked="" type="checkbox"/>	Paid	<input checked="" type="checkbox"/>
FP/UK/ROAD/43850/2019	ROAD438502019664	6143850664	Construction of Saur to Osala motor road	Road	22.2165	PMGSYTD PUROLA	30-9-2020	28-10-2020	<input checked="" type="checkbox"/>	Paid	<input checked="" type="checkbox"/>
FP/UK/ROAD/41387/2019	ROAD413872019505	6141387505	RAMA TO SYALUKA	Road	4.536	PMGSYTD PUROLA	24-7-2020	10-8-2020	<input checked="" type="checkbox"/>	Paid	<input checked="" type="checkbox"/>
FP/UK/ROAD/34189/2018	ROAD341892018621	6134189621	Construction of Odala to Siras Motor Road in Block Morf, District (Uttarkashi), Under PMGSY.	Road	3.5385	PMGSYTD PUROLA	31-1-2020	18-2-2020	<input checked="" type="checkbox"/>	Paid	<input checked="" type="checkbox"/>
FP/UK/ROAD/33852/2018	ROAD338522018079	6133852079	Mon to Safra Motor Road Under PMGSY	Road	10.787	PMGSYTD PUROLA	01-11-2019	13-11-2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Paid	<input checked="" type="checkbox"/>
FP/UK/ROAD/23445/2017	ROAD234452017993	6123445993	Construction of Naugson Purola MR Km 2 To Thull Gaon	Road	11.6735	PMGSYTD PUROLA	29-4-2019	02-9-2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Paid	<input checked="" type="checkbox"/>
FP/UK/ROAD/31650/2018	ROAD316502018207	6131650207	Construction of Ranachatti to Nisri Motor Road	Road	1.935	PMGSYTD PUROLA	13-6-2019	20-6-2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Paid	<input checked="" type="checkbox"/>
FP/UK/ROAD/23290/2016	ROAD232902016518	6123290518	NH 94 KHARADI NAGADGAON KM 9.00 TO ROAD BACHAN GAON UNDER PMGSY	Road	1.346	PMGSYTD PUROLA	25-6-2019	20-8-2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Paid	<input checked="" type="checkbox"/>
FP/UK/ROAD/11303/2015	ROAD113032015835	6111303835	Semalseri to garf	Road	4.165	PMGSYTD PUROLA	25-9-2018	31-1-2019	<input checked="" type="checkbox"/>	Paid	<input checked="" type="checkbox"/>
FP/UK/ROAD/23116/2016	ROAD231162016176	6123116176	Construction of Arakt Bhutanu motor road km 10.00 to Damel	Road	8.3	PMGSYTD PUROLA	19-6-2018	22-7-2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Paid	<input checked="" type="checkbox"/>

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- मुन्दिश्याट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से ख्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 हे० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मुन्दिश्याट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से ख्यालुका मोटर मार्ग में कम से कम वृक्षों का कटान एवं पातन किया जायेगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1242 से अधिक नहीं होगी।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएंगे।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-7.500 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, -पुरोला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, पुरोला

उपखण्ड पुरोला परिक्षेत्र के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग हेतु (आरक्षित वनभूमि 4.0320 है0, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है0, वन पंचायत भूमि शून्य है0 अर्थात कुल 4.5360 है0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-पुरोला) की दिनांक 09/11/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-


अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पुरुषोत्तम सिंह राणा, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1 श्री पुरुषोत्तम सिंह राणा उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2 श्री आर.ए.ए. श्रीवास्तव उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3 श्री प्रकाश भण्डारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहायक सत्यापन अधिकारी
- 4 श्री मती किशोरी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र पुरोला (उत्तरकाशी) सदस्य


उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य परियोजना हेतु 4.5360 है0 वन भूमि (4.0320 है0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.5040 है0 सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि से संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी टोंस वन प्रभाग पुरोला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पुरोला परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 4.5360 है० वन भूमि (4.0320 है० आरक्षित वन भूमि एवं 0.5040 है० सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।


 उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- पुरोला,
 जनपद-उत्तरकाशी

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- पुरोला,
 जनपद-उत्तरकाशी

FORM-I
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No. 179/2018


Dated. 5.11.2018

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act,2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that 4.5360 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D Uttarakhand for New Road Construction in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Syaluka village in Purola Tehsils.

It is further certificated that:

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 4.5360 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure
- (b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.



 जिलाधिकारी
 Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT - ~~UTTARKASHI~~ (UTTARAKHAND)


Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Uttarkashi District – Uttarkashi constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. ~~...~~ Ashish Chauhan A.S. District Magistrate on Dated 5-11-2018 at 11 AM at Uttarkashi in which the application claiming rights in Mail area measuring 4.5360 Hect for the Construction of Gundiya Gaon Rama M/R Km. 1.00 to Syaluka Motor Road under PMGSY of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of Purola were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Uttarkashi

Dated: 5-11-2018


जिलाधिकारी
District Magistrate
District level Committee

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
जनपद उत्तरकाशी


पत्रांक:-


दिनांक:-


वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 5.11.20 को जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग के किमी 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 4.5360 हैक्टेयर भूमि वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति-पुरोला द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी-पुरोला की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 4.5360 हैक्टेयर भूमि जो कि वन विभाग के पुरोला रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी- पुरोला की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।


()
जिला समाज कल्याण अधिकारी
उत्तरकाशी

()
(आर. व. मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
टोंस वन प्रभाग







()
(जिलाधिकारी)
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

पृ0स0 / डी0एल0आर0सी0 / दिनांक
प्रतिलिपि:-

1 अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला


()
(जिलाधिकारी)
जिलाधिकारी

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पुरोला खण्ड के रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.5.3.4.0 हे० वन भूमि हस्तानरण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 5-11-2018 को जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं सदस्य गण उपस्थित हुए।

क्र० सं०	अधिकारी/सदस्यों का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री आशीष चौहान	जिला अधिकारी उत्तरकाशी	 जिला अधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री आर०पी० मिश्रा	प्रमाणिक वनाधिकारी वन प्रभाग टॉन्स पुरोला	 उप वन संरक्षक टॉन्स वन प्रभाग, पुरोला
3	श्री हेमलता पांडेय	जिला समाज कल्याण आधिकारी	 जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य टकनौर	 जितेन्द्र सिंह राणा सदस्य जिला पंचायत टकनौर/ उत्तरकाशी
5	श्री अनिता गुंसाई	जिला पंचायत सदस्य कन्सेण	 अनिता गुंसाई सदस्य जिला पंचायत-04 लाम्ही वि० 280-मटवाडी उत्तरकाशी
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव	 अनिल कुमार जिला पंचायत डख्याटगांव उत्तरकाशी

It is certified that-Minutes of meeting of Construction of Gundiyaad Gaon Rama M/R Km. 1.00 to Syaluka Motor Road Km. 7.750 Motor Road regarding FRA is as following

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 4.536 hect. Of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the Forest Right Committee (s), sub division Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid Motor Road attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Preagricultural communities.	Yes copy of records attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.



(Dr. Ashish Chauhan)

District Magistrate-cum-Chairman

District Level Committee

Uttarkashi

परियोजना का नाम: जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-7.750 किमी०)
वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।
ग्राम पंचायत का नाम-गुन्दियाट गांव
तहसील पुरोला, जिला उत्तरकाशी

उत्तराखण्ड के जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 4.0320 है०, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०) अर्थात् कुल 4.5360 है०, वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम्य पंचायत गुन्दियाट गांव द्वारा दिनांक 13-03-19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गुन्दियाट गांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

Scanned with
CamScanner



ग्राम प्रधान

दिनांक 13-03-19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत का नाम जुन्दिमाट गांव

क्र०स०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1:	श्री राम कला	श्री राम कला
2:	श्री मोहन लाल	श्री मोहन लाल
3:	श्री च-दीदी	श्री च-दीदी
4:	श्री जितेंद्र रावत	श्री जितेंद्र
5:	श्री पुरन-चन्द	श्री पुरन-चन्द
6:	श्री राजवर्ष रावत	श्री राजवर्ष
7:	श्री कुन्दन लाल	श्री कुन्दन लाल
8:	श्री लक्ष्मण प्रसाद - गीवाल	श्री लक्ष्मण प्रसाद
9:	श्री लक्ष्मण प्रसाद - गीवाल	श्री लक्ष्मण प्रसाद
10:	श्री लक्ष्मण प्रसाद - गीवाल	श्री लक्ष्मण प्रसाद
11:	श्री प्रेमलाल	श्री प्रेमलाल
12:	श्री गोविन्द राम - गीवाल	श्री गोविन्द राम
13:	श्री शान्त प्रसाद - गीवाल	श्री शान्त प्रसाद
14:	श्री लखन सिंह	श्री लखन सिंह
15:	श्री श्याम सिंह - गीवाल	श्री श्याम सिंह
16:	श्री लखन सिंह	श्री लखन सिंह
17:	श्री लखन सिंह	श्री लखन सिंह
18:	श्री लखन सिंह - गीवाल	श्री लखन सिंह
19:	श्री लखन सिंह - गीवाल	श्री लखन सिंह
20:	श्री प्रताप सिंह	श्री प्रताप सिंह
21:	श्री प्रताप सिंह	श्री प्रताप सिंह
22:	श्री गोविन्द श्यामलाल	श्री गोविन्द श्यामलाल
23:	श्री लखन सिंह	श्री लखन सिंह

श्री लखन सिंह

परियोजना का नाम: जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-7.750 किमी०)

वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम-रोन
तहसील पुरोला, जिला उत्तरकाशी

उत्तराखण्ड के जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 4.0320 है०, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०) अर्थात् कुल 4.5360 है०, वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम्य पंचायत रोन द्वारा दिनांक 13.03.19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रोन के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान

सुमित्रा
प्रधान

ग्राम पंचायत रोन
पुरोला (उत्तरकाशी)

दिनांक 13-03-11 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत का नाम रोहत

क्र०स०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगदीश	जगदीश
2	श्री लाल	Chal
3	श्री गणेश प्रसाद	गणेश
4	श्री राम सिंह	श्री राम सिंह
5	श्री रामेश्वर रतूडा	रतूडा
6	श्री सतलोक सिंह	Singh
7	श्री अमल अम्बा देवी	अम्बा
8	श्री अमल - नविला देवी	नविला देवी
9	श्री रामलाल सिंह	Ram Lal
10	श्री राजपाल सिंह	Rajpal
11	श्री प्रताप सिंह	Pratap
12	श्री अमल प्रताप देवी	अम्बा देवी
13	श्री सतलोक सिंह रतूडा	Singh
14	श्री राजू रजवास	Rajwas
15	श्री सुलतान रजवास	Rajwas
16	श्री अमल सतलोक देवी	अम्बा देवी
17	श्री अमल देवी	अम्बा देवी
18	श्री नविला देवी	अम्बा देवी
19	श्री प्रताप रतूडा	Pratap
20	श्री राजू सिंह	Rajwas

23/03/11

प्रारूप-23

का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमी० 1.00 से स्यालुका तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का निर्माण। कुल - 7.750km.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - स्यालुका

तहसील पुरोला, जिला :- उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

रूड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 4.0320 है०, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०) कुल 4.5360 है० वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्यालुका ग्राम डोम रिमाड़ी द्वारा दिनांक 12/2/20 को ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत अधिकारी
मुख्य सचिव
पुरोला
मुख्य सचिव
पुरोला
मुख्य सचिव
पुरोला

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान/सर्वपंच
मुख्य सचिव
पुरोला

प्रपत्र-23.1

दिनांक - 11-05-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - खुशीपुरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पताप सिंह s/o कुंवर सिंह	
2	हरम सिंह s/o बचन सिंह	
3	गोत सिंह s/o हुकूम सिंह	
4	नरेश चन्द s/o आनंद सिंह	
5	देवेन्द्र सिंह s/o भुस्की सिंह	
6	भुस्की सिंह s/o सुरत सिंह	
7	भुपेन्द्र सिंह s/o बचन सिंह	
8	पताप सिंह s/o अजय सिंह	
9	गोदीन सिंह s/o जगमोहन सिंह	
10	उपेन्द्र सिंह s/o जगमोहन सिंह	
11	अशोक कुमार s/o कमलदास	
12	विलेन्द्र सिंह रावत s/o स्व. केवल सिंह	
13	विजय सिंह s/o स्व. विलेन्द्र सिंह	
14	देवेन्द्र सिंह s/o स्व. नागू	
15	राजेश रावत s/o श्री कुंवर सिंह	
16	पप्पू रावत s/o स्व. जयपाल सिंह	
17	अजयपाल सिंह s/o गलती सिंह	
18	भुस्की चन्द s/o गजपाल	
19	कमलपाल s/o पूर्ण दास	
20	रमेश सिंह s/o गजपाल सिंह	

प्रारूप-23

परियोजना का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमी 1.00 से स्यालुका तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का निर्माण। ल० - 7.750 Km.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - स्यालुका

तहसील पुरोला, जिला :- उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के किमी 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 4.0320 है०, सिविल सोयम भूमि 0.5040 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०) अर्थात् कुल 4.5360 है० वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्यालुका ग्राम स्यालुका द्वारा दिनांक 12/8/08

को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम

के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

80/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित

80/-

ग्राम पंचायत स्यालुका
पुरोला तहसील उत्तरकाशी


जयवीरलाल

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित पंचायत स्यालुका
पुरोला तहसील उत्तरकाशी

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में प्रयोक्ता अभिकर्ता आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों-बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)




अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति करेगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्तावा यका ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)





अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजूदरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विषशेत: वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)




अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सिं०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यार्वित वन भूमि की सीमा की परियोजना लागत पर भूमि सीमांकन किया जाएगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में परियोजना कार्य निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)




अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रत्योक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)





अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:— गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)



अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त से सम्बन्धित किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या-11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सिं०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सिं०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित लागू शर्तों का पालन किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)





अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एव निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेका जाएगा।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- गुन्दियाटगांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त करना प्रयोक्ता एंजेसी की जिम्मेदारी होगी।



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)





अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.536 है० वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाट गांव रामा मोटर मार्ग के कि०मी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग की अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic/in/>) पर अपलोड की जाएगी।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिसारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०,
पुरोला (उत्तरकाशी)